

५११५

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं०-162

मो० रिटोन आलग वगै०
बनाम
जलील विश्वास वगै०

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्ताक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख.....जिला-साहेबगंज
किमिनल मिस केस 189/2019.....सन्.....
केस के प्रकार-धारा 144 द०प्र०स० के अधीन

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी और तारीख
रहित

3

आदेश की
क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर

1

2

आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि
बरहरवा थाना अंतर्गत मौजा- जगरनाथपुर के

27/5/19

ज०न०	दाग न०	रकवा	चौहद्दी			
			उ०	द०	पु०	प०
63	91	01-13-00	मथुरा भगत	नौशाद विश्वास	नौशाद विश्वास	सरकारी सड़क

जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के द्वारा सार्वजनिक शांति भंग
हो सकती है।
अतएव उभय पक्षों के विरुद्ध द० प्र० स० की धारा 144 के अधीन
कार्यवाही प्रारम्भ कर बजरिये नोटिश किसी भी व्यक्ति को विवादित भूमि पर जाने
से रोकते हुए नोटिश दिया जाता है कि वे दिनांक 27/5/19 को मेरे न्यायालय
में उपस्थित हो कर कारण पृच्छा दें कि जारी निषेधाज्ञा उनके विरुद्ध क्यों नहीं
सम्पुष्ट की जाय ?

निर्धारित तिथि को नोटिश तामिला के साथ अभिलेख प्रस्तुत करें।
लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

27/5/19

नोटिश तामिला प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उभय
पक्षों से संबंधित पत्र प्राप्त। अतएव द० प्र० स० की धारा 144 के अधीन
कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

27/5/19

11/176